भारत के राजपत्र असाधारण के भाग- I, खंड- I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/16/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार, वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 29 जून 2024

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला सं. एडी (ओआई) - 14/2024

विषय : चीन जन. गण., पेरू और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एक्रिलिक फाइबर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड, पशुपति एक्रिलिक लिमिटेड और वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे ''घरेलू उद्योग'' अथवा "आवेदक" के रुप में भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' के रुप में भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''नियमावली'' के रुप में भी कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" के रुप में भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण., पेरू और थाईलैंड (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" के रुप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एक्रिलिक फाइबर" के कथित पाटन के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है ।

2. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है

और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार और प्रकार के ऐक्रेलिक फाइबर है। ऐक्रेलिक फाइबर सिंथेटिक बहुलक की एक लंबी श्रृंखला है जो एक्रिलोनिट्राइल के वजन से कम से कम 90% से बना है, जो ऐक्रेलिक फाइबर का उत्पादन करने के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। ऐक्रेलिक फाइबर शब्द में ऐक्रेलिक स्टेपल, ऐक्रेलिक टो और ऐक्रेलिक टॉप शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, ऐक्रेलिक स्टेपल फाइबर, ऐक्रेलिक टो और ऐक्रेलिक टॉप को व्यावसायिक भाषा में ऐक्रेलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्तमान जांच के माप की इकाई मीट्रिक टन (एम.टी.) है।

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के अंतर्गत 55013000, 55033000 और 55063000 उपशीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस उत्पाद का आयात 55033010 और 55033090 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. वर्तमान जांच के पक्षकार विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और जांच शुरू करने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पी.सी.एन. (औचित्य के साथ), यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं। बिना औचित्य के किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदकों ने दावा किया है कि संबंधित देशों से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं और विषय देशों से आयातित वस्तुएं आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, कार्यों, उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण, विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग करते हैं। आवेदकों ने आगे दावा किया है कि दोनों

तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए, नियमों के तहत अनुच्छेद के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद को विषय देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए लेख के समान माना जा रहा है।

ग. <u>संबद्ध देश</u>

8. वर्तमान जांच में संबद्ध देशों में चीन जन. गण., पेरू और थाईलैंड हैं।

घ. <u>जांच की अवधि (पी.ओ.आई.)</u>

9. आवेदकों ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 प्रस्तावित की थी। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 मानी है। क्षति सूचना अवधि में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 और जांच की अवधि शामिल है।

ड. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

10. यह आवेदन इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड, पशुपति एक्रिलिक लिमिटेड और वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों का उत्पादन उत्पाद के भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत है और भारत में समान वस्तु के कोई अन्य उत्पादक नहीं हैं।

11. प्रस्तुत सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने नोट किया कि इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान विषयगत देशों में से एक से विचाराधीन उत्पाद की छोटी मात्रा का आयात किया है। आवेदकों में से एक द्वारा किए गए आयात मात्रा में नगण्य हैं। आवेदकों ने यह भी कहा है कि वे न तो विषयगत देशों में किसी निर्यातक से संबंधित हैं और न ही विषयगत वस्तुओं के आयातक से।

12. उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, प्रथम दृष्टया यह माना गया है कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ में 'घरेलू उद्योग' से संबंधित है तथा आवेदन नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

च. <u>सामान्य मूल्य</u>

I. चीन जन. गण.

13. आवदकों ने यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. आवेदकों ने तुर्की से भारत में आयात मूल्य के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है। इच्छुक पार्टियां आवेदकों द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पद्धति पर अपनी टिप्पणियां दे सकती हैं। इस जांच को शुरू करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के विधिवत समायोजन के बाद भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए भारत में देय मूल्य के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

II. पेरू और थाईलैंड

15. आवेदकों ने पेरू और थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से सीएमए रिपोर्ट में प्रकाशित मूल्य पर भरोसा किया है। आरंभ के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी ने पेरू और थाईलैंड के लिए सामानय मूल्य निर्धारित करने के लिए उसी पर विचार किया है।

छ. <u>निर्यात कीमत</u>

16. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात मूल्य संबद्ध वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है जैसा कि डीजी सिस्टम्स के सौदा - वार डेटा में बताया गया है। कारखाना बाहय निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए समुद्री माल, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय मालभाड़ा, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के संबंध में मूल्य का समायोजन किया गया है।

ज. <u>पाटन मार्जिन</u>

17. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना स्तर पर की गई है, जो *प्रथम दृष्ट्या* यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

झ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

18. आवेदकों ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में *प्रथम दृष्ट्या* साक्ष्य प्रदान किया है। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष तथा सापेक्ष, दोनों तरह से वृद्धि हुई है, बावजूद इसके कोई मांग व आपूर्ति का अंतर नहीं है। संबद्ध देशों से मूल्य में कटौती सकारात्मक है। पाटित किए गए आयातों के कारण, मूल्य में हुई गिरावट ने घरेलू उद्योग को पूरी लागत वसूलने और उचित दर पर प्रतिफल प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक दिया है और लाभप्रदता में काफी कमी आई है। संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है। संबद्ध देशों से आयातित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली भौतिक क्षति के *प्रथम दृष्ट्या* साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच शुरू करने को उचित ठहराते हैं।

ञ. <u>पाटननरोधी जांच की शरुआत</u>

19. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करने वाले घरेलू उद्योग प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्ट्या* साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए जांच शुरू करते हैं, जिसे

यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ट. <u>प्रक्रिया</u>

20. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ठ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी संचार ई-मेल पतों dir16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/ एमएस वर्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजी जाने योग्य होनी चाहिए।

22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथाविहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत की अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे जांच के संबंध में किसी अद्यतन जानकारी के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) पर नियमित रूप से नजर रखें ।

ड. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के अगोपनीय पाठ को दाखिल किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ई-मेल पतों dir16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को ई-मेल के माध्यम से परिचालित की जाएगी अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को भेजी जाएगी। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुती

29. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

30. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

33. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है, या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत करने या सारांशीकृत रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

34. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषयवस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है और नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए ।

35. इच्छुक पार्टियां दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पार्टी द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे सकती हैं ।

36. सार्थक अगोपनीय अंश या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयाता के संबंध में पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीय अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

38. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

39. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोधों के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर इस जांच शुरूआत अधिसूचना के खंड-ठ के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है ।

त. <u>असहयोग</u>

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और अलग पत्र के जरिए दी गई आगामी समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से

मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्धत थ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी